



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
स्पीड पोस्ट/ई-मेल



No- CHG/DRG/LST-42/RPR

खान कोड- 38CHG05009

दिनांक :- 24/01/2022

प्रति, श्री सुशील कुमार वाली, नोमीनटेड ओनर
सर्वश्री जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट - अहिरवारा,, तहसील - धमधा
जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 490 036
Email: skwali@jksmail.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी सेमरिया (Semariya) चूना पत्थर खान क्षेत्रफल - 3.096 है. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 14.10.2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा Shri B.L.Bhati, Sr.GM (Mines), Shri Praveen Singh, Mines Manager & Shri Probal Chatterjee, Geologist के उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
29	1. As mine is temporarily discontinued since 01.04.2019, there is 27.19 metric tonne production reported during the financial year 2020-21. In monthly return of November, 2021 there is reported 19.380 metric tonne limestone (cement grade) production and same quantity dispatch for domestic consumption. <i>The holder of a mining lease shall send to the authorised officer, as the case may be, and the State Government an intimation in Form C of the Schedule of reopening of a mine after temporary discontinuance, so as to reach them within fifteen days from the date of such reopening. But till date this office has not received.</i>
26(2)	2. Yearly report before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, has not been submitted to competent authorities.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम के अंतर्गत
(क) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ख) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिभीघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से **45 (पैंतालिस)** दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर के दास)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (By email)

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440 001
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर